

गीतम बुद्ध विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर





प्रो० आर०एस० निर्जर

कुलपति,

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय

प्रेटर नोएडा

अध्यक्ष

२. श्रीयुत जैकब थामस प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास विभाग, लाल बहादुर शास्त्री भवन <u>लखनऊ</u> सदस्य

३. प्रो० राम कुमार गरवा ४ सी० मोती बांध रोड पोस्ट- निन्देर विश्वकर्मा इन्डस्ट्रीयल एरिया (बीक्आईए) ज्यपुर - ३०२ ०९३ सदस्य

प्रो० रणजीत सिंह

निदेशक

नेताजी सुभाष इन्सटीट्यूट आफ टेक्नालोजी
सेक्टर-३, द्वारिका

नई दिल्ली-990094

सदस्य

५. प्रो० ऋषि राज गौड़ डिपार्टमेंट आफ मैकेनिकल इन्जी० इन्डियन इन्सटीट्यूट आफ टेक्नालोजी,हौजखास नई दिल्ली-११० ०१६ सदस्य

इते प्रो० मुकुल गुप्ता डीन रिसर्च एण्ड बिजनेस डवलपमेंट मैनेजमेंट डवलपमेंट इन्सटीट्यूट मेहरौली रोड, सुखराली, गुड़गांव- १२२ ००१ सदस्य

प्रो०शेर अली

नेशनल इन्सटीट्यूट आफ इमयूनालोजी
जे०एन०यू० कैम्पस,

नई दिल्ली – १९० ०१६

सदस्य

-403/2

द. प्रो० ब्रम्हजीत सिंह डिपार्टमेंट आफ इलेकट्रानिकस नेशनल इन्सटीट्यूट आफ टेक्नालाजी कुरुक्सेत्र - १३२ ११६



श्रीयुत ओमवीर सिंह
 कुलसचिव
 गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
 ग्रेटर नोएडा

. सचिव

विशेष आमंत्रित

श्रीयुत एस०एस०ए० रिजवी महाप्रबन्धक (परियोजना) ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा श्रीयुत वी०बी०सिंह
महाप्रबन्धक वित्त
ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण
एंव
वित्त अधिकारी
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
ग्रेटर नोएडा

बैठक में सभी सदस्य उपस्थित रहें।

कृत कार्यवाही

- प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक प्रारम्भ हुई।
- प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की प्रगति से अवगत कराया गया। बोर्ड ने विश्वविद्यालय में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की तथा चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति को सन्तोष जनक मानते हुए महाप्रबन्धक (पिरयोजना) एंव विरष्ठ प्रबन्धक (पिरयोजना) तथा उनके सहयोगियों के कार्य की प्रंशसनीय प्रगति के लिए सराहना की तथा निर्माण इकाई से अपेक्षा की कि निर्माण की गति थोड़ी और तेज की जाये जिससे समय से सत्र आरम्भ हो सके तथा विश्वविद्यालय का कार्यालय अपने परिसर में शीध्र से शीध्र हस्तानान्तरित हो सके।

08.01.01 <u>विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों के संचालन हेतु संलग्न</u> अध्यादेशों (Ordinances) पर विचार एवं निर्णय ।

बोर्ड ने प्रस्तावित अध्यादेशों को कतिपय भाषागत संशोधनो के साथ अनुमोदन प्रदान किया। संशोधित अध्यादेश संलग्न है।

08.01.02 विषय विशेषज्ञो की सूची पर विचार एवं अनुमोदन ।

बोर्ड ने विषय विशेषज्ञों की सूची को विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया। यह भी निर्णय लिया कि उक्त सूची में अन्य विशेषज्ञों को सम्मिलित करने हेतु कुलपित महोदय पूर्ण रूपेण अधिकृत होगें।

-473/2

08.01.03

प्रथम सत्र में एम०बी०ए० कोर्स मे प्रवेश हेतु शुल्क निर्धारण एवं अन्य व्यवस्थाओं पर विचार एवं निर्णय।



बोर्ड ने प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया तथा निम्नानुसार शुक्क निर्धारित करने हेतु अनुमोदन प्रदान कियाः-

(अ) शैक्षिक तथा अन्य सम्बन्धित शुल्करू० 1.44 लाख प्रतिसत्र

(ब) छात्रावास आवास शुल्करू० ०.३६ लाख प्रतिसत्र

कुल रू० 1.80 लाख प्रतिसंत्र

अनुसूचित वर्ग के छात्रों के लिए शैक्षिक शुल्क 50 प्रतिशत देय होगा।

08.01.04 विश्वविद्यालय हेतु आवश्यक शैक्षिक, प्रशासनिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदो के सृजन पर विचार एवं निर्णय ।

बोर्ड ने संलग्न प्रस्ताव पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय की तत्काल आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक शैक्षिक तथा प्रशासनिक पद सृजित कर लिये जार्ये जिसकी सूची निम्नानुसार है:-

प्रशासनिक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सृजित पदों का विवरण कम सृजित पदों का विवरण पदो की वेतनमान सं0 सं0

સં 0		ਲਂ0	,
1.	कुलपति के स्टाफ आफिसर	01	8000-275-13500
2.	एकाउन्टस आफिसर	01	8000-275-13500
3.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	01	8000-275-13500
4.	फिजिकल टैनिंग इस्ट्क्चर	01	6500-200-10500
5.	जूनियर कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	6500-200-10500
6.	कम्प्यूटर आपरेटर	02	5500-175-9000
7.	कैशियर .	01	5000-150-8000
8.	कैटलागर	02	4000-100-6000
9.	कार्यालय सहायक	03	3050-75-3950-80-4590
10	अटैन्डेन्ट	05	2550-55-2660-60-3200
		18	

उक्त सभी पदो पद नियुक्ति अधिनियम में प्राविधानित व्यवस्थानुसार संविदा के आधार की जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार डाटा ऐन्ह्री आपरेटर, इाइवर, अटैन्डेन्ट, बागवानी स्टाफ, स्वच्छ्कार तथा अनुरक्षण स्टाफ वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से लिए जाने का भी निर्णय लिया गया।





स्जित शैक्षिक पदो का विवरण

कुम सं०	सृजित होने वाले पदों का विवरण	पदो की सं0	
1.	स्कूल आफ मैनेजमेन्ट हेतु	14	
2.	स्कूल आफ लॉ हेतु	02	
3.	स्कूल आफ बायोटेक्नोलाजी हेतु	03	
4.	इन्फारमेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टैक्नोलाजी हेतु	03	

इसके अतिरिक्त ''रिसर्च एसोसिएट'' के पदो के सृजन हेतु

कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। कुलपति महोदय विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार ''रिसर्च एसोसिएट'' के पद सृजित करके उन पर नियुक्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।

उक्त सभी पदो पर नियुक्ति अधिनियम में प्राविधानित व्यवस्थानुसार संविदा के आधार की जायेगी।

08.01.05 <u>विश्वविद्यालय की परिनियमावली की धारा 31 उपधारा (1)</u> मे संशोधन किये जाने <u>पर विचार एवं निर्णय ।</u>

बोर्ड ने संलर्ग प्रस्ताव पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 43 उपधारा (2) के अनुरूप विश्वविद्यालय के लेखो का आडिट चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा करवाया जाये तथा विश्वविद्यालय की परिनियमावली की धारा 31 उपधारा (1) में आवश्यक संशोधन विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुरूप कर लिये जाये।

08.01.06 विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्तों/सुविधाओं (चिकित्सा) पर विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यो/कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्तर के संस्थानो यथा आई०आई०टी०/आई०आई०एम० के समकक्ष एन०सी०आर० में उपलब्ध समस्त सुविधाएँ (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु अनुमन्य मकान किराया भत्ता/सी०सी०ए० तथा यात्रा भत्ता) प्रदान की जायें।

चिकित्सा सुविधा

बोर्ड ने संलग्न प्रस्ताव पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यो/कर्मचारियों के हितो को दृष्टिगत रखते हुए अत्यन्त उपयोगी एंव आवश्यक है। अतः विश्वविद्यालय हेतु उक्त व्यवस्था को अनुमोदित करते हुए तत्काल लागू करने की अनुमति प्रदान की।

पेन्शन अंशदान

बोर्ड ने संलग्न प्रस्ताव पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पेन्शन अंशदान की व्यवस्था विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यो/कर्मचारियों के हितो को दृष्टिगत रखते हुए अत्यन्त उपयोगी एंव आवश्यक है। अतः विश्वविद्यालय में उक्त व्यवस्था को तत्काल लागू करने की अनुमित प्रदान की गई।





टेलीफोन सुविधा (कारपोरेट कनेक्शन):-

बोर्ड ने संलग्न प्रस्ताव पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय उचित है। वर्तमान में इन्टरकाम व्यवस्था से अधिक मोबाइल सुविधा उपयोगी है।

08.01.07. <u>विश्वविद्यालय हेतु आवश्यक शैक्षिक, प्रशासनिक एवं</u> <u>शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के स्टाफ स्ट्रक्वर पर विचार एवं</u> <u>निर्णय।</u>

बोर्ड ने संलग्न प्रस्ताव पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार समय समय पर संलग्न स्टाफ स्ट्क्चर के अनुरुप पदों का सृजन प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन से किया जाये तथा विश्वविद्यालय में सृजित शैक्षिक, प्रशासनिक/शिक्षणेत्तर पदो के वेतनमान एवं अन्य सुविधाएँ राष्ट्रीय महत्व के संस्थानो यथा आई0आई0ठी0/आई0आई0एम0 के समान ही रखी जाये।

08.01.08. <u>गौतम बुद्ध ऐजुकेशन सोसायटी में सृजित विभिन्न शैक्षिक,</u> प्रशासनिक एवं शिक्षणेत्तर पदो को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय मे समाविष्ट किये जाने के <u>सम्बन्ध में</u> ।

बोर्ड ने संलग्न प्रस्ताव पर विचारोपरान्त मा० राज्यपाल महोदय द्वारा प्राधिकार प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के फलस्वरूप गौतम बुद्ध ऐजुकेशन सोसायटी हेतु सृजित पदों को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में समाविष्ट करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की ।

08.01.09 <u>विश्वविद्यालय के संचालन हेतु वित्तीय प्रबन्ध पर विचार एवं</u> निर्णय ।

बोर्ड को संलग्न प्रस्ताव से अवगत करवाया गया तथा विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी महोदय को विश्वविद्यालय के खातो में पड़ी धनरिश का समय समय पर विश्वविद्यालय हित में Fixed Deposit आदि करने के लिए अधिकृत किया गया तथा भविष्य में विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा विश्वविद्यालय की प्रगति की गित को बनाये रखने हेतु एन्डाउमेन्ट फण्ड की सीमा को 10 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ किये जाने की संस्तुति की तथा निर्णय लिया कि उक्त हेतु प्रस्ताव शासन की स्वीकृति एंव अधिसूचित करने हेतु प्रस्तुत किया जाये।





08.01.10

वित्तीय वर्ष 2008-09 के बजट पर विचार एवं निर्णय।

बोर्ड ने संलग्न प्रस्ताव का अवलोकन किया तथा वित्तीय वर्ष 2008-09 के बजट को सर्वसम्मित से अनुमोदन प्रदान किया। बोर्ड ने विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर के संस्थानो के समकक्ष विकसित किये जाने की अपेक्षा की तथा उक्त लक्ष्य की प्राप्ति किये जाने का सम्राव दिया।

08.01.11 <u>अध्यक्ष महोदय की अनुमित से किसी अन्य विषय पर विचार</u> एवं निर्णय।

> (क) <u>एम०बी०ए० में प्रवेश पाने वाले छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास की</u> <u>व्यवस्था किराये के भवन में किये जाने पर विचार एंव निर्णय।</u>

बोर्ड को संलग्न प्रस्ताव से अवगत करवाया गया तथा छात्र-छात्राओं के प्रवास हेतु व्यवस्था किये जाने हेतु महाप्रबन्धक (परियोजना),ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया कि विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं के हित में जो भी व्यवस्था उपयुक्त हो कर ली जायें।

(ख) <u>छात्रावास अभिरक्षकों को मुफत आवास सुविधा दिये जाने पर</u> विचार <u>एंव निर्णय।</u>

बोर्ड ने संलग्न प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि छात्रावास अभिरक्षकों को आवास एंव टेलीफोन की सुविधा निशुल्क अनुमन्य होगी।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(श्री ओमवीर सिंह) सचिव प्रबन्ध बोर्ड एंव कुलसचिव गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा (प्रो० आर०एस० निर्जर) अध्यक्ष प्रबन्ध बोर्ड एंव कुलपति गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा